पत्र संख्या-विधि-3(1)-4-स0क0नि0/जनरल-(2008-09)-/1167/0809104 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

(विधि अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: फरवरी12 , 2009

1- ज्वाइंट कमिश्नर "कारपोरेट सेल"

2- समस्त डिप्टी कमिश्नर (क0नि0),

3- समस्त असिस्टेंट कमिश्नर (क0नि0),

4- समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर विभाग

1- वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 के वादों में कर निर्धारण की समयावधि दिनांक 31-03-2009 को समाप्त हो रही है । अत: निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कालवाधित होने वाले वादों का निस्तारण तत्परता से करना सुनिश्चित करें । इनमें से किसी वाद या श्रेणी विशेष के वादों में किसी स्तर से कर निर्धारण कार्यवाही स्थगित रखने के लिए प्रशासनिक निर्देश दिये गये हों अथवा किसी मामले विशेष में मुख्यालय से मार्गदर्शन मांगा गया हो तो उसे निरस्त मान कर मार्ग दर्शन की प्रतीक्षा किये बिना तुरन्त कर निर्धारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

2- यदि किसी व्यापारी के वाद में पुन: कर निर्धारण हेतु धारा 21 में नोटिस जारी की जानी हो तो ऐसे वादों में नियमानुसार नोटिस जारी की जाय ।

3- जिन वादों में उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा 21(2) के परन्तुक में कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण की अनुमति दी जानी है, उनमें अपने जोनल एडीशनल कमिश्नर से तत्काल अनुमति प्राप्त करके निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत उसका निस्तारण सुनिश्चित किया जाय ।

4- यदि कोई वाद कार्यवाही करने से रह जाता है तो इसकी सीधी जिम्मेदारी कर निर्धारण अधिकारी की होगी ।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।

10/2/09

(अनिल संत)

कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश ।